Dated 26.09.2022

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट पी0जी0/एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0 2022 हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

(Revised Advisory for candidates)

1. राज्य की शासकीय एवं निजी/ चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त राज्य कोटे की सीटों (एम0डी0/एम0एस/एम0डी0एस), जिसमें निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध एन0आर0आई0 सीटें एवं सेवारत अभ्यर्थियों की सीटें भी सम्मिलित हैं पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रकिया मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट पी0जी0 2022 के अन्तर्गत की जायेगी।
2. नीट पी0जी0 2022 के समस्त पात्र अभ्यर्थी जो उपरोक्त काउंसिलिंग में भाग लेना चाहते है उन्हें सलाह दी जाती है कि वह पंजीयन उपरान्त अपना लॉगिंन आई0डी0 एवं पासवर्ड एवं अन्य संबंधित जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें, जिससे इसका दुरूपयोग न हो।
3. रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रकिया एम0पी0 ऑनलाईन के निर्धारित पोर्टल dme.mponline.gov.in पर संचालित होगी।
4. रजिस्ट्रेशन से पूर्व संचालनालय की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित रजिस्ट्रशन यूजर मेनुअल एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधन 19 जून 2019, एवं 05 अक्टूबर 2021 तथा 26 जुलाई 2022 को भली भॉती पढ़कर समझ लें। किसी प्रकार का संशय होने पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के ई–मेल mpugpgcounselling@gmail.com पर अपनी समस्या प्रेषित कर इसका निराकरण करायें। नियमानुसार रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित अवधि के उपरान्त अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन की प्रवृष्टियों में कोई संशोधन नहीं कर पायेगा।
5. रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन फार्म में खाता संख्या (Account Number), आई0एफ0एस0सी0 कोड (IFSC Code) बैंक का नाम (Bank Name), ब्रांच का नाम (Branch Name) एवं एकाउंट होल्डर का नाम (Account Holder Name) मोबाईल नंबर आदि वहीं हो जिसमें अभ्यर्थी काउंसिलिंग के उपरान्त रिफंड (Refund) चाहता हो। (लागू होने पर)।

6. अभ्यर्थी को पंजीकृत (Registered) तभी माना जायेगा जब अभ्यर्थी ने पंजीयन हेतु ऑनलाईन फीस जमा कर दी हो। अभ्यर्थी के पास एमपी आनलाईन पोर्टल से जनरेट की गई रजिस्ट्रेशन स्लिप होना अनिवार्य है जो कि फीस जमा होने पर ही प्राप्त होगी।

7. पंजीकरण प्रक्रिया प्रथम चरण की काउंसिलिंग से पूर्व की जायेगी तथा मॉप अप चरण से पूर्व पुनः पंजीकरण खोला जायेगा जिसमें केवल वे पात्र अभ्यर्थी जो किसी कारणवश पंजीयन नहीं कर सके है वे मॉप अप चरण हेतु पंजीयन करा सकेंगे। पूर्व से पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुनः पंजीयन नहीं करना है।

8. पंजीकरण की प्रक्रिया घोषित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। पंजीकरण की अंतिम दिनांक तक एडिट (Edit) की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्पूटर का फेल होना, तकनीकि त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण से पंजीकरण हेतु निर्धारित समय नहीं बढ़ाया जायेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

9. काउंसिलिंग के समस्त चरणों की प्रक्रिया ऑनलाईन की जानी है अतः अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय, द्वितीय चरण एवं मॉप अप चरण की काउंसिलिंग में नई च्वाईस फिलिंग करने से पूर्व जमा कराई जाने वाली अग्रिम राशि तथा प्रवेश के समय संस्था की निर्धारित फीस का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से किया जाना है। अभ्यर्थी किसी भी एकाउंट से एवं एक से अधिक एकाउंट से निर्धारित फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं ऑनलाईन आर0टी0जी0एस0 एन0ई0एफ0टी के माध्यम से कर सकता है। फीस के भुगतान हेतु अभ्यर्थी एक से अधिक नेट बैंकिंग एकाउंट, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फीस भुगतान संबंधी परेशानी से बचने के लिए खातों में संस्था की निर्धारित फीस के अनुसार पर्याप्त राशि रखें। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके बैंक खाते में इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो, अतः खाते से किये जाने वाले लेन-देन (Transaction) राशि की सीमा आवश्यकतानुसार बढ़ा लें। माप अप चरण के उपरान्त सी0एल0सी0 चरण में संस्था स्तर पर प्रवेश के समय संस्था का निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा नगद के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रवेशित संस्था के एकाउंट में किया जा सकेगा।

10. रजिस्ट्रेशन के उपरान्त पूर्व प्रदर्शित काउंसिलिंग कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपना विकल्प (च्वाईस फिलिंग) दर्ज कराना होगा

एवं च्वाईस लॉक करना अनिवार्य होगा च्वाईस फिलिंग / लॉकिंग के निर्धारित समय तक अभ्यर्थी अपनी च्वाईस Edit कर सकेगा। एडिट च्वाईस को लॉक करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा भरी गई च्वाईस फिलिंग मान्य नहीं होगी।

11 प्रथम चरण की काउंसिलिंग में केवल मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी अथवा मध्यप्रदेश के किसी भी एम.सी.आई / डी.सी.आई मान्यता प्राप्त मेडिकल / डेंटल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. पाठयक्रम उत्तीर्ण किये गये अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग हेतु पात्र होंगे।

12 प्रथम चरण के उपरांत आगामी चरणों की काउंसिलिंग में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी आवंटन हेतु च्वाईस फिलिंग कर सकेंगें परन्तु इन अभ्यर्थियो को राज्य के मूल निवासी (domicile) अभ्यर्थियों की मेरिट में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही आवंटन किया जाएगा ।

13 अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी की पात्रता रखते है को काउंसिलिंग से पूर्व रजिस्ट्रेशन करते समय श्रेणी का विकल्प ई0डब्ल्यू0एस0 (EWS) देना होगा। अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया ई0डब्ल्यू0एस0 प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जिसे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किया जाना होगा।

14. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों (च्वाईस) के महाविद्यालयो / विषयों का कम पूर्व से ही लिखकर रख लें जिससे उन्हें पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना न करना पड़े।

15. **अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अच्छी तरह से सोच समझकर एवं विभिन्न चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की संचालनालय एवं पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क को ध्यान में रखकर ही आवंटन हेतु महाविद्यालयों / विषयों का चयन करें एवं महाविघालयों / विषयों के चयन को कम दें। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 10 उप नियम (6) के अनुसार आवंटन आदेश के अनुकम में पात्रताधारी होते हुये भी प्रवेश न लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी आगामी किसी भी चरण की काउंसिलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग के समय ऐसी च्वाईस न भरे जिस पर आवंटन हो जाने की स्थिति में प्रवेश लेने के लिए असमर्थ हों।**

16. आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिंन आई0डी0 से आवंटन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकेगा ।

17. **<u>प्रवेशित सीट से त्यागपत्र</u> :–** मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 नियम 15 (1) एवं संशोधन 19 जून 2019 के अनुसार

    (i) प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चरण प्रारंभ होने से 02 दिवस पूर्व तक त्यागपत्र दे सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों पर सीट लिविंग बॉण्ड लागू नहीं होगा।

(ii) निर्धारित समय सीमा के उपरान्त त्याग पत्र दिये जाने पर सीट लिविंग बॉण्ड लागू होगा।

18 प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि मॉप अप चरण में अपग्रेडेशन का विकल्प चाहता है तो उसे द्वितीय चरण के लिये भी प्रथम चरण के उपरान्त अपग्रेड का ऑप्शन देते हुये द्वितीय चरण में च्वाईस फिलिंग करना अनिवार्य होगा।

19. आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के समय प्रारूप–1 में उल्लेखित मूल दस्तावेजों के साथ अभिलेखों के सत्यापन हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित हो। आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा (काउंसिलिंग समय सारणी) में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेस्क पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज करायें। तत्पश्चात आवंटित संस्था की नियुक्त की गई प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवायें। मूल दस्तावेजों की सूची प्रोफार्मा–1 / मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के साथ संलग्न अनुसूची–3 में उल्लेखित है। सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थी ही आवंटित सीट पर प्रवेश पा सकेंगें। अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा कराना होगा। संस्था प्रमुख से मूल दस्तावेज जमा होने का संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

20. काउंसिलिंग के दौरान ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण/मॉप अप चरण के लिये अपग्रेडेशन हेतु ऑप्शन देंगें, को प्रथम चरण/द्वितीय चरण में प्रवेश के समय ग्रामीण सेवा बंध पत्र एवं सीट लिविंग बॉण्ड नहीं देना होगा। परन्तु उन्हें रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का नोटराईज्ड शपथपत्र, संस्था प्रमुख के नाम से संपादित करना होगा कि अपग्रेड न होने की स्थिति में प्रारूप के अनुसार ग्रामीण सेवा बंध पत्र एवं सीट लिविंग बॉण्ड जमा करेगा।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश